

प्रेस विज्ञापन जनपद देवरिया

दिनांक 26.04.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर एक्ट प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना रुद्रपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-396/2014 धारा – 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त विनोद राजभर पुत्र रघुवर निवासी गोला वार्ड थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 26.04.2025 को 02 वर्ष का कारावास एवं 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। जिसमें विशेष लोक अभियोजक श्री वाचस्पति मिश्र, कोर्ट मुहर्नर हे0का0 अजय कुमार, पैरवीकार थाना रुद्रपुर का0 निर्मल तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री राम विलास यादव का सराहनीय योगदान रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद देवरिया।

मो0नं0-7839861970